सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, रामावतार मीना, आर.ए.एस.

अपील संख्या 273/17 निर्णय दिनांकः 9.1.2018

1. बलवन्तराम पुत्र श्योकरणराम जाति जाट निवासी जाखड़वाली तहसील पीलाबंगा जिला हनुमानगढ़ हाल चक 17 बीएलडी तहसील खाजुवाला।

अपीलांट्

—बनाम—

1. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, खाजुवाला

रेस्पोडेन्ट्

अपील विरूद्व आज्ञा दिनांक 04—04—2000
सहायक आयुक्त उपनिवेशन छत्तरगढ़ मु. बीकानेर

उपस्थितिः—

1. श्री नरसाराम जाखड़, अभिभाषक अपीलांट्
2. श्री नन्दराम कासनियॉ, राजकीय अभिभाषक

—निर्णय—

1. अपीलांट ने यह अपील सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छत्तरगढ़ मु. बीकानेर के आदेश दिनांक 04—04—2000 जिसके द्वारा अपीलांट को आवंटनशुदा रकबा बिना सूचना के किश्तों के अभाव में खारिज कर दिया गया, के विरूद्व इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन (इगानप योजना में सरकारी कृषि भूमि आवंटन व विक्रय नियम) 1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट् ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट को चक 17 बीएलडी के मुरब्बा नम्बर 35/9 के किला नम्बर 3 ता 9, 11 ता 25 तादादी 19.02 बीघा कमाण्ड/अनकमाण्ड भूमि का आवंटन दिनांक 03—02—1998 को किया गया था। उक्त आवंटन पश्चात् आवंटन पट्टा भी जारी कर दिया गया। अपीलांट द्वारा आवंटन के पश्चात् समस्त किश्तें भी जमा करवा दी गई थी। अपीलांट वादगत् भूमि पर बदस्तुर काबिज चला आ रहा है। आज दिनांक को वादगत् भूमि के संबंध में अपीलांट की कोई किश्त बकाया नहीं है। फिर भी अदालत मातहत द्वारा इस तथ्य पर कोई गौर किये बिना ही बिना किसी आधार के खारिज का नोट अंकित कर दिया गया। जो पूर्णतया विधि विरूद्व होने से निरस्त योग्य है। अदालत मातहत द्वारा अपीलांट को किया गया आवंटन बिना सूचना के व नोटिस दिये खारिज कर दिया गया। जो प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के विपरीत है।

उन्होंने आगे बताया कि अदालत मातहत द्वारा रिकार्ड का अवलोकन किये बिना आदेश जैर अपील पारित किया है। जबकि अपीलांट द्वारा आवंटन पश्चात् तमाम राशि जमा करवाई जा चुकी थी। ऐसी स्थिति में अदालत मातहत को अपीलांट को आवंटित रकबे की खातेदारी सनद जारी करनी चाहिए थी ना कि अपीलांट का आवंटन खारिज किया जाना चाहिए था। अदालत मातहत द्वारा केवल मात्र सेल रजिस्टर के नोट के आधार पर अपीलांट का आवंटन किश्तों के अभाव में खारिज किया गया है। जबकि अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर रिपोर्ट प्राप्त की गई। जिसके अनुसार उक्त रकबा खारिज बताया गया है व दूसरी तरफ अंकन किया गया है कि भूमि कीमत समस्त राशि जमा का अंकन है। ऐसी स्थिति में जब अपीलांट द्वारा समस्त राशि जमा करवाई जा चुकी थी तथा उक्त अदालत मातहत के समक्ष उपस्थित हो चुके थे तो अदालत मातहत को अपीलांट का आवंटन खारिज नहीं करते हुए खातेदारी अधिकार प्रदान किये जाने चाहिए थे। चूंकि अपीलांट द्वारा वादगत् भूमि के बाबत् समस्त राशि जमा करवाई जा चुकी है। ऐसी स्थिति में आदेश जैर अपील खारिज किया जाकर अपीलांट का आवंटन बहाल रखा जावे।

उन्होंने मियांद पर बताया कि अपीलाधीन आदेश एकतरफा क्षेत्राधिकार से बाहर है। जिसमें मिंयाद अधिनियम बाघक नहीं है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश है। अतः अपील अन्दर मियांद घोषित की जावे।

4. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलांट ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 04—04—2000 के विरूद्व अपील दिनांक 02—08—17 को पेश की है। जोकि विलम्ब से पेश की है। इसलिए अपील मिंयाद बाहर है। मियांद प्रार्थना पत्र में मियांद कण्डोन करने का कोई संतोषजनक कारण अंकिन नहीं किया है। अपीलांट का आवंटन किश्तों के अभाव में खारिज किया जा चुका है। ऐसी स्थिति में अब अपीलांट किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. (1) जहॉ तक मियांद का प्रश्न है, अपीलाधीन आदेश दिनांक 04—04—2000 को पारित किया गया है। जिसके विरूद्व अपील 02—08—2017 को पेश की गई है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिसके खण्डन में राज्य पक्ष द्वारा कोई काउण्टर शपथ पत्र पेश नहीं किया गया हैं। अतः प्रार्थी के शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए अपील में हुए विलम्ब को दरगुजर करते हुए अपील अन्दर मियांद घोषित की जाती है।

(2) हस्तगत् प्रकरण में अपीलांट को चक 17 बीएलडी के मुरब्बा नम्बर 35/9 के किला नम्बर 3 ता 9, 11 ता 25 तादादी 19 बीघा 2 बिस्वा कमाण्ड/अनकमाण्ड भूमि का आवंटन किया गया तथा आवंटन पट्टा भी जारी कर दिया गया।

(3) प्रकरण में अदालत मातहत की पत्रावली व प्रस्तुत दस्तावेजों के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादगत् भूमि के संबंध में अपीलांट द्वारा समस्त राशि जमा करवाई जा चुकी है। इस आश्य का नोट पटवारी रिपोर्ट में अंकित है कि सैल रजिस्टर खाते में एसीसी आदेशांक 882 दिनांक 04—04—2000 द्वारा किश्तों के अभाव में खारिज का नोट अंकन है। भूमि कीमत समस्त राशि जमा का अंकन है।

(4) प्रकरण में जब यह तथ्य स्पष्ट है कि अपीलांट द्वारा वादगत् भूमि बाबत् समस्त राशि जमा करवाई जा चुकी है। ऐसी स्थिति में अदालत मातहत द्वारा अपीलांट को आवंटित रकबा इस आधार पर खारिज किया जाना कि अपीलांट का आवंटन किश्तों के अभाव में खारिज किया जाता है। युक्तियुक्त, तर्कसंगत नहीं कहा जा सकता। चूंकि अपीलांट द्वारा वादगत् भूमि के बाबत् समस्त राशि जमा करवाई जा चुकी है। ऐसी स्थिति में अदालत मातहत का अपीलाधीन आदेश पुश्टि योग्य नहीं माना जा सकता।

7. अतः उक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट् की अपील स्वीकार की जाती है व अपीलाधीन आदेश दिनांक 04—04—2000 निरस्त किया जाकर अपीलांट का आवंटन दिनांक 03—02—1998 बहाल रखा जाता है।

8. निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक को सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ0राकेश कुमार शर्मा)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर